Profit earned by Speed Post Service

2221. SHRI E. BALANANDAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1193 given in the Rajya Sabha on 1st December, 1992 and state;

(a) what is the profit earned by the Speed Post Services during 1991-92;

(b) whether tariff charged on Speed Post articles conveyed by surface be reduced to 25 per cent of the tariff paid to those conveyed by Air;

(c) whether courier services carry out their operations in violation of the Post office Act; and

(d) if so, what remedial measures Government had taken to curb and check such unlawful operations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) Since Speed Post revenue and expanditure form a part of the General Government Account, no separate profit/loss statement is prepared for Speed Post.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Department of Posts enjoys monopoly to convey letters under Sections 4 and 5 of Indian Post Office Act, 1898. Some Courier services carry letters in violation of the above Act. Whenever such an infringement of the provisions of the Act comes to notice with sufficient evidence, action is initiated under the provisions of Law.

सीमा शुल्क संबंधी नियमों का सरलीकरण :

2222. **श्री अजीत जोगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमा शुल्क संबंधी नियमों को सरल बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यात्रियों को यात्री-सामान संबंधी नियमों के अन्तर्गत अपने साथ शुल्क-मुक्त-मदें अधिक संख्या में लाने की अनुमति दी जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) : जी, हां ।

(ख) आयात तथा निर्यात कार्गो की निकासी में लगने वाले समय को कम करने के लिए निर्धारण और न्यायनिर्णयन की शक्तियां निम्न दर्जे के अधिकारियों को दी गई हैं। इसी प्रयोजन के लिए, दस्तावेजों को तैयार करने के स्तरों को मिला करके उन्हें कम कर दिया गया है । प्रतिष्ठित आयातकों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयात दस्तावेजों के स्वतः निर्धारण की प्रणाली लागू की गई है । कुछेक श्रेणियों के आयातकों के लिए ग्रीन चैनल से (माल की केवल सीमित जांच के साथ) निकासी की सुविधा भी आरंभ की गई है ।

अनिवासी भारतियों सहित विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क माल निकासी की सीमा को बढ़ा दिया गया है और निवास स्थानांतरण और असबाब नियमावली के नियम 4 (क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्थायी स्वरूप की उपभोक्ता वस्तुओं को लाने के लिए मूल्य सीमाओं में बढ़ोत्तरी कर दी गई है । निवास स्थानान्तरण का लाभ उठाने वाले यात्रियों के लिए भारत में ठहरने की अवधि में होने वाली कमी को माफ करने के लिए रिआयतें दी गई हैं । वीडियो कैमरा, कम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, लैप-टाप कम्प्यूटर, आदि जैसी मदों के अस्थायी आयात की अनुमति देने के लिए पर्यटक असबाब नियमावली को अद्यतन किया गया है।

(ग) यात्रा करने वाले लोगों से असबाब नियमावली के तहत निःशुल्क माल निकासी की सीमा को बढ़ाने के लिए कुछेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(घ) इस समय, निःशुल्क माल निकासी की सीमा को बढ़ाने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।